राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1939/2009

खेम चन्द सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त भरतपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त प्रथम, भरतपुर।
5. विशम्भर दयाल शर्मा पुत्र श्री गोपाल राम।
6. चरण सिंह पुत्र श्री राम लाल।
7. महेश चन्द पुत्र श्री रामजी लाल।
8. पदम सिंह पुत्र श्री फत्ते राम, समस्त 5 से 8 जरिये अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.12.2009
आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुमेर सिंह बडसरा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को चालक द्वितीय के पद पर दिनांक 01.05.1977 से जिस तिथि से आदेश दिनांक 30.01.2009 के द्वारा उससे कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और उसे हैल्पर ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 01.05.1965 को नियुक्त किया गया था और दिनांक 01.02.1979 को स्थायी किया गया और आदेश दिनांक 01.09.1978 के द्वारा चालक तृतीय के पद पर दिनांक 01.05.1977 से पदोन्नत किया गया और

दिनांक 30.06.2006 को सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को आदेश दिनांक 30.01.2009 के द्वारा दिनांक 01.05.1977 से चालक द्वितीय के पद पर पदोन्नत कर दिए गए। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। वरिष्ठता सूची दिनांक 25.04.1986, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 3 पर और जो कार्मिक पदोन्नत किए गए का नाम क्रम संख्या 4 से 7 पर अंकित है, परंतु अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को चालक द्वितीय के पद पर दिनांक 01.05.1977 से जिस तिथि से आदेश दिनांक 30.01.2009 के द्वारा उससे कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ जिन 4 कार्मिकों की पदोन्नति चालक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया है। उनको चालक ग्रेड द्वितीय के वेतन अंतरमान का वेतन भुगतान उनकी मांगों के आधार पर दिनांक 04.02.1975 से कर दिया गया। परंतु चालक ग्रेड द्वितीय की वेतन श्रृंखला प्रदान नहीं की गई और आदेश दिनांक 30.08.1978 के द्वारा दिनांक 01.09.1978 से चालक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति दी गई और दिनांक 04.02.1975 से चालक ग्रेड तृतीय की जगह चालक ग्रेड द्वितीय के वेतनमान का अंतर मिल चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी हैल्पर ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 01.05.1965 को नियुक्त किया गया था और दिनांक 01.02.1979 को स्थायी किया गया और आदेश दिनांक 01.09.1978 के द्वारा चालक तृतीय के पद पर दिनांक 01.05.1977 से पदोन्नत किया गया और दिनांक 30.06.2006 को सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को आदेश दिनांक 30.01.2009 के द्वारा दिनांक 01.05.1977 से चालक द्वितीय के पद पर पदोन्नत कर दिए गए। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति

प्रदान नहीं की गई। जहां तक अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ कार्मिकों को चालक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत करने एवं अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित रखे जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी से कनिष्ठ जिन 4 कार्मिकों की पदोन्नति चालक ग्रेड द्वितीय के पद पर की गई है। परंतु उनको चालक ग्रेड द्वितीय की वेतन श्रृंखला प्रदान नहीं दी गई। यदि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को चालक ग्रेड द्वितीय के वेतन अंतरमान का वेतन भुगतान उनकी मांगों के आधार पर दिनांक 04.02.1975 से कर दिया गया या उनको उक्त पद की वेतन श्रृंखला प्रदान की गई है, तो ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को आदेश जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार के नियमों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों तथा न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए दो माह में अभ्यावेदन का निस्तारण करें, जिसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी को दी जावे।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य